रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082020-221049 CG-DL-E-10082020-221049

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2376] No. 2376] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2020/श्रावण 19, 1942 NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2020/SHRAVANA 19, 1942

## मत्स्यपालनपशुपालन और डेयरी मंत्रालय , (पशुपालन और डेयरी विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2020

का.आ. 2679(अ).—केंद्रीय सरकार, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 2 के खंड (घ) और धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-ii, खंड-3, उप-खंड (ii) तारीख 17 अक्तूबर, 2014 में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2666, तारीख 16 अक्तूबर, 2014 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, पैराग्राफ (3) में निम्नलिखित परंतु अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात

'परंतु यह कि अनुसंधान तथा विकास के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले 5 किलोग्राम तक के मत्स्यकी संबंधी उत्पादों के नमूनों के आयात के लिए स्वच्छता आयात परिमट अपेक्षित नहीं होगा और पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवा स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से प्राप्त 'अनापित्त प्रमाण' प्रस्तुत करने पर विनियमित किया जाएगा:

3631GI / 2020 (1)

परंतु यह और कि आयातक इस संबंध में एक घोषणापत्र प्रस्तुत करेगा कि आयात का उद्देश्य अनुसंधान और विकास करना है तथा उस उत्पाद का उपयोग जल कृषि या मत्स्यपालन के लिए नहीं किया जाएगा और न ही उसे देश के बाजारों में बेचा जाएगा।"

> [फा. सं. एल. 110110/17/- 2017-ट्रेड-भाग-(1)] जी.एन. सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2666 (अ), तारीख 17 अक्तूबर, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3356 (अ), तारीख 10 दिसंबर, 2015, का.आ. 2640 (अ), तारीख 3 अगस्त, 2016, का.आ. 3112 (अ), तारीख 30 सितंबर, 2016, का.आ. 948 (अ), तारीख 22 मार्च, 2017, का.आ. 2486 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2017 और का.आ. 5758 (अ), तारीख 16 नवंबर, 2018 द्वारा संशोधित की गई थी।

# MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th August, 2020

**S.O. 2679(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 2 and section 3A of the Livestock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries number S.O. 2666, dated 16<sup>th</sup> October, 2014, published in part-II, Section 3, Subsection (ii) of Gazette of India, Extraordinary, dated 17<sup>th</sup> October, 2014, namely:-

In the Schedule to the said notification, in paragraph (3), the following proviso shall be inserted namely,-

"Provided that sanitary import permit shall not be required for import of samples of fishery products upto 5kg to be used for research and development purpose and shall be regulated against the production of 'No Objection Certificate' from the Officer-In-Charge of the Animal Quarantine and Certification Services Stations or any other officer duly authorized by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying:

Provided further that the importer shall submit a declaration to the effect that the purpose of the import is for research and development and such product shall not be used for the purpose of aquaculture or fisheries and shall not be marketed in the country."

[F. No. L-110110/17/2017-Trade-Part(1)] G.N. SINGH, Jt. Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii), vide notification number S.O. 2666(E), dated the 17<sup>th</sup> October, 2014 and subsequently amended vide notification numbers S.O. 3356(E), dated the 10<sup>th</sup> December, 2015, S.O. 2640(E), dated the 3<sup>rd</sup> August, 2016, S.O. 3112(E), dated the 30<sup>th</sup> September, 2016, S.O. 948(E), dated the 22<sup>nd</sup> March, 2017, S.O. 2486(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2017 and S.O. 5758(E), dated the 16<sup>th</sup> November, 2018.